ORDER SHEET 799-2016rct

THECOURT------

-7C9 V		
Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
11-02-17	प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश। राज्य द्वारा एडीपीओउप0 आरोपी जिलेदार सिंह सहित अधिवक्ता श्री डी०एस०गुर्जर उप0। प्रकरण आज राजीनामा हेतु नियत हैं। आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत में राजीनामा करने हेतु डॉकेट प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया। फरियादी धर्मेन्द्र वर्मा व आहत राकेश गुप्ता की पहचान अधि०श्री बी०एस०गुर्जर द्वारा की गई हैं। राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैकि आरोपी जिलेदार के विरूद्ध भादस की धारा 294,323,506 एवं 403 के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त धाराये न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है फरियादी धर्मेन्द्र वर्मा व आहत राकेश गुप्ता ने आरोपी से स्वेचछयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है । अतःराजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की गई । राजीनामा के आधार पर आरोपी जिलेदार को भाठदंठसंठ की धारा 294,323,506 एवं 403 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी पूर्व से जमानत पर है अतः उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य. क.1— क.2— (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क017 गोहद	STATE OF STA
	1000	